



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 (PAUSA 28, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2022

संख्या 05/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 69/जीएसटी-2, दिनांक 29 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, तालिका में क्रम संख्या 3 के सामने,—

- (1) मद (iii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (2) मद (vi) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (3) मद (vii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (4) मद (ix) और (x) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षक में, "संघ राज्य क्षेत्र किसी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (5) मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने, "शर्त" शीर्ष तथा खाना (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th January, 2022

No. 05/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 5, sub-section (1), of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 69/GST-2, dated the 29th December, 2021, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table,—

- (1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (iii), (vi), (ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - (2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - (3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix) and (x), shall be omitted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.